भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3935

उत्तर देने की तारीख : 12.12.2019

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करना

3935. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओमिडयार नेटवर्क एण्ड बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप द्वारा प्रस्तुत ''क्रेडिट डिसरप्टेडः डिजिटल एमएसएमई लेंडिंग इन 'इंडिया' नामक रिपोर्ट के अनुसार हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में लगभग 40 प्रतिशत को अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है जहां ब्याज दर औपचारिक स्रोतों से प्राप्त ऋण के ब्याज दर से 2.5 गुणा अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान एमएसएमई को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित ऋण का राज्य-वार/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा ऋण वितरण का कोई लक्ष्य तय किया गया है जैसा कि कृषि क्षेत्र के लिए तय किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एमएसएमई क्षेत्र में ऋण के सुगम वितरण के लिए सरकार ने कोई नीतिगत परिवर्तन किया है/करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) चालू वर्ष और उक्त अवधि के दौरान एमएसएमई क्षेत्र द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए ऋण की बकाया राशि से संबंधित ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। शेष ऋण निजी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, फिनटेक कंपनियों तथा गैर-औपचारिक वित्तीय स्रोतों आदि से आता है।

एमएसएमई को प्रभावी ऋण सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों के साथ-साथ कई कदम उठाए गए हैं:

- **i) क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 में 30168.57 करोड़ रुपए की गारंटी कवरेज के साथ 4,35,520 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।**
- **ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 02.11.2018 से प्रभावी) और 2019-20 के लिए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए एमएसएमई को ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट।**
- **iii) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 17.03.2016 को 25 करोड़ रुपए तक के ऋण वाले एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है।**
- **iv) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 01.01.2019 के अपने परिपत्र द्वारा उन दबावग्रस्त एमएसएमई के मौजूदा ऋणों की एकबारगी पुनर्संरचना को अनुमति प्रदान की है जिन्हें परिसंपत्ति वर्गीकरण में कम किए बिना 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**

v) सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र की इकाइयों को 10 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री ऋण।

vi) एमएसएमई ऋण, जिसमें सेवा क्षेत्र वाले एमएसएमई के ऋण भी शामिल हैं, को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

vii) एमएसएमई को विलंबित भुगतान की समस्या को दूर करने और फैक्टरिंग लेनदेन को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) का कार्यान्वयन।

viii) 7.5 प्रतिशत समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का लक्ष्य अथवा ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का क्रेडिट इक्वीवेलेंट अमाउंट, जो भी अधिक हो, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म उद्यमों को ऋण के रूप में दिए जाने के लिए निर्धारित है।

ix) एमएसई की 5 करोड़ रुपए तक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता संबंधी गणना को सरल बनाने के लिए इसे अनुमानित वार्षिक टर्नओवर के 20 प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

x) बैंकों को एमएसएमई ऋण आवेदनों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने और उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए सिस्टम बनाने की सलाह दी गई है।

xi) एमएसई को अपने 'जीवन-चक्र' के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को एमएसई को ऋण प्रवाह को सुव्यवस्थित करने की सलाह दी है।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए कई पहलें की गई हैं जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर), क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी-प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), खरीद एवं विपणन योजना (पीएमएस) आदि जैसी योजनाएं/कार्यक्रम शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) भी एमएसएमई को विपणन, वित्त, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं सहित एकीकृत सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराता है।

(ङ) : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 के दौरान सूक्ष्म उद्यमों में सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या) क्रमश: 3.6 लाख, 3.2 लाख, 4.08 लाख, 3.87 लाख और 5.87 लाख है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की अन्य संवर्धनात्मक स्कीमों के अंतर्गत भी रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3935, जिसका उत्तर 12.12.2019 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर बकाया ऋण

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	
		खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.09	517.12	0.08	534.61	0.08	599.58	0.08	688.05
2	आंध्र प्रदेश	9.19	40840.41	9.57	44447.24	9.95	49610.86	10.52	56607.02
3	अरुणाचल प्रदेश	0.10	580.26	0.10	648.29	0.10	702.27	0.17	802.74
4	असम	6.14	11680.23	8.59	13066.16	9.94	15372.27	14.46	18880.27
5	बिहार	7.36	16754.32	8.55	19364.61	12.71	22388.88	17.50	27736.26
6	चंडीगढ़	0.37	9582.11	0.43	10021.53	0.42	8846.18	0.67	10538.07
7	छत्तीसगढ़	3.32	16221.14	4.17	18246.88	4.57	19231.49	5.30	23229.65
8	दादरा एवं नगर हवेली	0.04	503.63	0.05	572.01	0.06	658.75	0.07	842.33
9	दमन एवं दीव	0.03	415.98	0.03	8.59	0.03	543.15	0.15	4132.58
10	दिल्ली	4.12	106755.95	4.58	103780.41	4.20	99502.74	4.88	102884.08
11	गोवा	0.60	4520.77	0.73	4714.53	0.79	5021.80	0.79	5018.20
12	गुजरात	9.11	83927.70	10.08	94600.09	11.30	98059.32	12.60	119505.50
13	हरियाणा	4.21	42573.23	4.97	42947.13	5.66	45195.50	6.70	54908.77
14	हिमाचल प्रदेश	1.08	6749.07	1.18	7102.73	1.26	7449.94	1.31	8074.65
15	जम्मू एवं कश्मीर	2.36	9207.83	2.61	10144.40	2.78	12084.42	2.92	13871.92
16	झारखंड	4.17	15437.01	4.80	16317.03	5.76	17953.95	8.61	20186.07
17	कर्नाटक	13.40	78751.39	15.91	82371.15	17.83	79982.85	20.90	89094.96
18	केरल	7.37	45615.86	8.74	46513.71	10.60	48359.03	12.59	53146.38
19	लक्षद्वीप	0.02	83.96	0.02	16.60	0.01	15.63	0.01	18.47
20	मध्य प्रदेश	10.08	38674.77	11.65	41452.04	13.84	45403.04	17.29	52800.57
21	महाराष्ट्र	27.02	227178.41	27.97	250605.29	27.50	235191.58	30.89	262887.01
22	मणिपुर	0.16	509.15	0.19	583.38	0.34	745.91	0.57	973.31
23	मेघालय	0.25	893.11	0.32	890.00	0.31	905.05	0.39	1053.48
24	मिजोरम	0.08	394.07	0.09	410.73	1.97	810.22	0.17	578.33
25	नागालैंड	0.10	559.16	0.15	678.56	0.19	710.53	0.26	690.91
26	ओडिशा	6.62	20974.86	7.85	24450.12	8.27	25778.04	14.38	31449.27
27	पुडुचेरी	0.57	2485.00	0.69	2546.03	1.03	2639.12	1.16	2924.06
28	पंजाब	5.51	45841.76	6.18	45733.00	6.63	46439.69	8.27	54134.66
29	राजस्थान	7.62	48550.57	8.79	52885.67	10.00	58000.43	11.81	70412.30
30	सिक्किम	0.14	482.08	0.20	549.96	0.19	516.20	1.62	1067.98
31	तमिलनाडु	22.71	139221.94	27.54	145119.87	34.50	151904.46	35.06	165455.58
32	तेलंगाना	5.38	45354.30	5.87	50778.43	5.60	53170.15	6.22	55848.81
33	त्रिपुरा	1.16	1704.61	1.72	1861.81	2.10	2274.25	2.73	2595.59
34	उत्तराखंड	3.12	16216.61	2.34	11278.25	4.89	26979.77	3.90	26474.71
35	उत्तर प्रदेश	14.00	69988.57	17.13	79224.49	17.03	72614.51	24.90	90201.48
36	पश्चिम बंगाल	27.51	66260.15	29.78	71418.31	29.10	68577.78	40.83	80936.52
कुल		**205.11**	**1216007.11**	**233.62**	**1296398.82**	**261.54**	**1324239.34**	**320.68**	**1510650.52**

स्रोत:- भारतीय रिजर्व बैंक